

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-784 / 2012
संस्थित दिनांक-28.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

छबीलाल पिता हीरालाल कोल्हेकर, उम्र-42 वर्ष
साकिन-वार्ड नं. 20 दमोह, थाना बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक- **14 / 05 / 2015** को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-26.09.2012 को 02:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह अम्बेडकर चौक में रुपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिख रहा था।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि आरक्षी केंद्र बिरसा की निरीक्षक प्रभा किरण किरो को दिनांक-26.09.2012 को मुखबिर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम दमोह में अम्बेडकर चौक के पास पान ठेले के पीछे छबीलाल महार सट्टा-पट्टी के अंको पर हार-जीत का खेल खिला रहा था। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु अम्बेडकर चौक जाकर हमराह स्टॉफ के साथ घेराबंदी किया तो एक व्यक्ति सट्टा-पट्टी लिख रहा था, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम छबीलाल पिता हीरालाल, निवासी वार्ड नंबर-20 दमोह बताया। साक्षी रौनूसिंह, सोनूसिंह के समक्ष आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कल्याण और नागपुर की एक-एक अंको की पट्टी (पच्ची), एक डॉट पेन सफेद नीले रंग की, एक मोबाईल लाल रंग का Byond कम्पनी का, जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम लगी थी तथा कुल 340/-रुपये साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-114 / 2012,

अंतर्गत धारा-4 "क" सार्वजनिक द्युत अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए। अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

3- आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4 "क" के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी दिनांक-26.09.2012 को 02:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह अम्बेडकर चौक में रुपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिख रहे थे ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- अनुसंधानकर्ता अधिकारी किरण किरो (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-26.09.12 को थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को हमराह स्टॉफ ए.एस.आई धुर्वे, एच.सी.-583, कांस्टेबल-520, 847, 316 एवं सैनिक 228 को हमराह लेकर इलाका भ्रमण में गई थी। दौराने इलाका भ्रमण में सूचना पर एक व्यक्ति की सट्टा पट्टी लिखने की खबर मिलने पर सूचना की तत्पश्चात् हेतु अम्बेडकर चौक बिरसा पहुंची, जहां से आरोपी छबीलाल पिता हीरालाल निवासी दमोह को सट्टा पट्टी के अंको पर हार-जीत का दांव लगाते हुए पकड़ा। मौके पर आरोपी से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार दो सट्टा पट्टी पचीं एक पेन नीले कलर की स्याही का, एक मोबाईल सेट एवं नकदी रकम 340/-रुपये जप्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपी छबीलाल के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार की थी, जिस पर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर लिये थे। वापस थाना आकर आरोपी के विरुद्ध में प्रदर्श पी-4 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-114/12, धारा-4 क सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी रौनू सिंह एवं सोनूसिंह के

कथन उनके बताए अनुसार लेख की थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है दोनों साक्षी सोनू और रौनू उनके विभाग के सैनिक हैं तथा प्रकरण में कोई अन्य साक्षी को नहीं रखा गया है। साक्षी ने प्रकरण में की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही को साक्ष्य में प्रमाणित किया है। उक्त अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने मामले में सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही एवं जप्ती कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही अकेले पूर्ण की है। ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता की सम्पूर्ण कार्यवाही की सूक्ष्मता से परिशीलन किया जाना आवश्यक है तथा कार्यवाही का संदेह से परे निष्पक्षतापूर्वक निष्पादित होना आवश्यक है।

7— सोनूसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय पुलिस ने आरोपी से सट्टा-पट्टी पकड़ी थी और जप्ती कार्यवाही कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने जप्तीपंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा में पुलिस थाना बिरसा में थाना प्रभारी के कहने पर हस्ताक्षर किया था तथा दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह उस समय थाना बिरसा में नगर सैनिक के पद पर था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से मोबाईल, पेन व पैसे क्यों जप्त किये इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन करते हुए अभियोजन मामलों के अनुरूप जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

8— रौनूसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी को पकड़ने के संबंध में कार्यवाही नहीं की गई थी। पुलिस ने उससे थाने में जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 पर हस्ताक्षर कराए थे। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वह मौके पर पुलिस के साथ आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने गया था और उसके सामने पुलिस ने सट्टा-पट्टी, डॉट पेन व नकदी राशि जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस दिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, उस दिन वह दमोह नहीं गया था, बल्कि थाना बिरसा

में ही था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने थाना प्रभारी के कहने पर थाना बिरसा में जप्ती पत्रक व गिरफ्तारी पत्रक में हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले के अनुरूप जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन की ओर से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करने हेतु स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में सोनू (अ.सा.1) एवं रौनू (अ.सा.2) की साक्ष्य करायी गई है। उक्त साक्षीगण ने उनके सामने पुलिस द्वारा आरोपी से सट्टा-पट्टी का खेल खिलाते हुए आरोपी को पकड़े जाने तथा आरोपी के कब्जे से नगद राशि, मोबाईल, सट्टा-पट्टी व अन्य सामग्री जप्त करने से इंकार किया है। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के कथनों में अभियोजन मामले को किसी भी प्रकार से समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। ऐसी दशा में जप्ती अधिकारी की एक मात्र साक्ष्य पर अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने हेतु निर्भर करता है। मामले को साबित किये जाने हेतु किसी निश्चित संख्या में साक्षियों को पेश किया जाना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि एकमात्र साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर भी मामला प्रमाणित हो सकता है। यद्यपि जहां एकमात्र साक्षी की साक्ष्य पर मामला प्रमाणित किये जाने हेतु निर्भरता रहती है वहाँ उक्त एकमात्र साक्षी की विश्वसनीयता को जांच परख कर उसकी साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना होता है।

11— अभियोजन को अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है तथा जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के समय के महत्वपूर्ण दस्तावेज रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध की गई कथित कार्यवाही के समय रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज किया जाना प्रकट नहीं होता है जो कि मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दस्तावेज है। इस प्रकार घटना के समय का महत्वपूर्ण दस्तावेज

रोजनामचा सान्हा का अभाव होने व स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से समर्थन न करने से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का संदेह से परे निष्पक्षतापूर्वक निष्पादित होना प्रकट नहीं होता तथा की गई कार्यवाही पूर्णतः संदेहास्पद हो जाती है, जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

12— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला आरोपी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक-26.09.2012 को 02:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अम्बेडकर चौक में रुपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिख रहा था। अतः आरोपी को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-4“क” के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा एक मोबाईल Byond कंपनी का, नगद राशि 340/- अपील अवधि पश्चात् राजसात की जाती है तथा शेष संपत्ति सट्टा-पट्टी, एक डॉट पेन व एयरटेल की सिम मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट